न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 162/2010 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :– 24.11.2010

1. डालू पिता रामा उम्र वयस्क
2. गंगा पत्नी गणेशलाल जी उम्र वयस्क
3. नाथू पिता गणेशलाल जी उम्र 16 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गंगा
   सभी जाति भील निवासी बरवासिया निचली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–प्रार्थीगण

बनाम

खेतान बिजनेस प्रा0 लि0 राबचा जरिये डाईरेक्टर पता राबचा तहसील नाथद्वारा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री लालजी मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता विपक्षी।

: : आदेश : :

दिनांक :– 08.05.2019

प्रार्थीगण की ओर से विपक्षी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां राजस्व ग्राम निचली ओडन तहसील नाथद्वारा की खाता सं. 287 की आराजी सं. 1513/1343 कुल रकबा 04–00 बीघा आराजी सं. 1515/1343 कुल रकबा 03–00 बीघा आराजी सं. 1514/1343 कुल रकबा 03–00 बीघा स्थित है। गणेश पिता रामा की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी सं. 2 गणेश की पत्नी व 3 गणेश का पुत्र हैं। इस प्रकार प्रार्थी सं. 2 व 3 गणेश के वारीसान है। उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग का प्रार्थीगण को ही अधिकार है। उपरोक्त कलम सं. 2 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थी सं. 1 के भाई कालूलाल की भूमिया भी प्रार्थी सं. 1 डालू ही देखरेख करता है। प्रार्थी सं. 1 ने उक्त वर्णित आराजीयात मे काफी खच्र कर कुछ हिस्सा कृषि योग्य बनाया और चारो तरफ कोट बनाकर बाउण्डरी भी बना रखी है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

यह कि उक्त आराजीयात पर विपक्षी कम्पनी जो कि खनन व अन्य कार्य करती है के कर्मचारी प्रबन्धक खाडियो खदानो का मलबा प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की बाउण्डरी तोडकर उसमे डाल रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षी को ऐसा करने से मना किया तो वह झगडा करने पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण की आराजीयात मे बिना परमिशन के घुसने एवं मलबा पत्थर गिट्टी डालने का विपक्षी को कोई हक अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी कम्पनी किसी भी प्रकार से भराव, मलबा पत्थर गिट्टी नही डाले बाउण्डरी नही तुडवावे प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग मे दखलअंदाज उत्पन्न न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब मे प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादी का वाद किन्ही ठोस आधारो पर आधाारित न होकर नितान्त मिथ्या एवं गलत तथ्यो पर आधारित होने से उसमे किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त होने की कोई उम्मीद नही है। कलम सं. 2 मे प्रस्तुत तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। कलम सं. 5 मे प्रस्तुत तथ्य अस्वीकार है यह भी गलत है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात डालू देखरेख करता है। कंपनी को खनन करने हेतु माइनिंग लीज विपक्षी को सन 1969 मे राजस्थान सरकार के माइनिंग से ग्रांट हुई है तथा स्वीकृत क्षेत्र मे खनन पट्टे के भाग दो व तीन के अनुसार खनन कार्य मलबा स्टेटिंग तथा मशीनरी आदि स्थापित करना एवं कर्मचारियो एवं स्टाफ के निवास हेतु बंगला आदि का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। लीज डीड के पट्टा नम्बर 13 पर भाग 8 के पैरा सं. दो मे यह हवाला दिया हुआ है कि खनन पट्टा एरिया मे गेर काश्त खातेदार की जमीन आती है तो ऐसा खातेदार/जमीन का मालिक खनन पट्टेधारी से केवल जमीन का मुआवजा जो राज्य सरकार ने निश्चित कर रखा है, प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अलावा जमीन के खातेदार को कोई अधिकार प्राप्त नही है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि गैर खातेदार की भूमि है तथा गैर खातेदारी के संबंध मे आप न्यायालय को प्रार्थनापत्र सुनने का क्षेत्राधिकार भी नही है तथा वाद ग्रस्त आराजीयात विपक्षी को राज्य सरकार द्वारा खनन करने के लिए अधिकृत है इसलिए विपक्षीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक नम्बर एफ6(37)रिवीजन.बी,31 जयपुर दिनांक 2 जुलाई 1971 द्वारा माइनिंग लीज एरिया के अन्तर्गत कृषि उद्देश्य से जमीन अलोटमेंट करने से मना किया हुआ है जिसके राज्य सरकार के सर्कुलर की प्रतिलिपि संलग्न है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक नम्बर एफ 3, के एच. जी.आर. ।।/87 दिनांक 02.03.1990 द्वारा जहां भी कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है को निरस्त करने तथा भविष्य मे आवंटित नही करने के आदेश दिये गये है। राज्य सरकार के उक्त सर्कुलर की फोटो प्रति भी संलग्न है। विपक्षी कम्पनी को सन 1970

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

मे ही उक्त वादग्रस्त भूमि को खनन क्षेत्र के एि आंवटित कर दी इसलिए यदि उसके बाद किसी प्रकार से गैर खातेदार मे विपक्षीगण के नाम पर आंवटित की गई है तो वह आवंटन निरस्त होकर विपक्षी को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते हे।

अतः निवेदन है कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की गैर–खातेदारी की भूमि है। जिसका वो उपयोग–उपभोग कर रहे है। विपक्षीगण उस भूमि पर खनन कार्य कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त जमीन गैर खातेदारी की है और धारा 188 व 212 आर.टी.एक्ट खातेदारी अधिकारो के संदर्भ मे है। प्रार्थी द्वारा यह नही बताया की गैर खातेदारी आंवटन कब हुआ। विपक्षी को खनन लीज 1972 मे मिली जबकि प्रार्थी को 1984 मे आवंटन हुआ। भूमि पर मलबा डालने के सम्बन्ध मे फौजदारी प्रकरण भी हुए है जिन्हे खारिज किया गया है। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :–पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी मे प्रार्थी गैर खातेदार दर्ज है। जो प्रार्थी को कार्यालय उपजिलाधीश उदयपुर द्वारा 15.07.1984 को आवंटित हुई। उपरोक्त भूमि के पक्ष मे खनन विभाग द्वारा 1972 मे ही खनन पट्टा जारी किया गया है जिसका नवीनीकरण भी किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।

<u>सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति</u>:– प्रार्थी का कथन है कि गैर खातेदारो की भूमि पर उसी का कब्जा है और वह लगातार काश्त भी कर रहा है। परन्तु इस संदर्भ मे भी उनके द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. व अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। यह आदेश आज दिनांक **08.05.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द